परिशिष्ट VIII

अधिकरण/न्यायालय के मामलों में कार्यवाही करने के लिए मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. प्रशासनिक अधिकरण का गठन

भारत सरकार ने 1985 में पब्लिक सेवाओं तथा संघ अथवा राज्य अथवा किसी स्थानीय अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य प्राधिकरण के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों अथवा शिकायतों के न्याय निर्णयन तथा विचारण का प्रावधान करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया। प्रक्रिया, नियम तथा संगत प्रावधान प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 तथा प्रशासनिक अधिकरण अध्यादेश, 1986 में दिए गए हैं।

अधिनियम तथा अध्यादेश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किए गए हैं तथा बाजार में उपलब्ध हैं।

2. अधिकरण की शक्तियां और अधिकारिता

अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय के सिवाय सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोक्तव्य हैं। सभी सेवा संबंधी मामलों अर्थात् भर्ती, पदावधि, पुष्टिकरण, वेतन और भत्ते, वरिष्ठता, पदोन्नति, प्रतिवर्तन, छुट्टी, अनुशासनात्मक मामले आदि, जिसका सरकारी कर्मचारी की सेवा पर प्रभाव पडता है/है।

3. अधिकरण/न्यायालय में याचिका फाइल किए जाने पर कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही।

- (क) कार्यालय के अध्यक्ष को प्रशासनिक अधिकरण/न्यायालय से जब कोई नोटिस प्राप्त होता है तो वह तत्काल ही अधिकरण/ न्यायालय से याचिका की प्रति प्राप्त करेगा, यदि अधिकरण/न्यायालय के नोटिस के साथ प्राप्त न हुई हो। इसके तत्काल पश्चात स्थायी सरकारी काउन्सेल से सम्पर्क करेगा, जोकि समय-समय पर सलाह देने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेलों के नाम समय-समय पर परिचालित किए जाते हैं और संबंधित अधिकरणों/न्यायालयों के पास भी उपलब्ध होते हैं और जब कभी भी आवश्यक हो, उनसे मंगाये जा सकते हैं।
- (ख)) कार्यालयों के अध्यक्षों को सलाह दी जाती है कि वे उनसे संबंधित मुद्दों पर रिट याचिका की पैरावार टिप्पणी तैयार करें तथा निदेशालय में संबंधित अनुभागों को भेज दें। परोक्ष रूप से केन्द्र का जिन मामलों से संबंध न हो, वे अपनी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, तो याचिका की प्रति निदेशालय के संबंधित उपनिदेशक (प्रशासन) को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दें।
- (ग) अधिकरण/न्यायालय में फाइल की गई याचिकाओं में निरपाद रूप से प्रक्रिया/क्रमबद्ध रूप से अपनायी जानी चाहिए:--
 - (1) अधिकरण/न्यायालय में फाइल की गई याचिका पर कार्यालय के अध्यक्ष/निदेशालय के संबंधित अनुभाग द्वारा पैरावार टिप्पणियों का प्रारूप तैयार करना चाहिए।
 - (2) पैरावार टिप्पणियों का प्रारूप संबंधित केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल को एक पत्र द्वारा भेजा जाना चाहिए जिसमें यह अन्रोध किया जाए कि याचिका पर प्रस्तुत पैरावार टिप्पणियों के आधार पर प्रतिशपथ पत्र तैयार किए जाएं।
 - (3) सरकारी काउन्सेल द्वारा तैयार किए गए प्रतिशपथ पत्र के प्रारूप को रजिस्टर्ड डाक से संबंधित उपनिदेशक प्रशासन के नाम से इस निदेशालय में जांच और विधि मंत्रालय द्वारा संवीक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए।
 - (4) प्रतिशापथ पत्र के संवीक्षित प्रारूप को संबंधित केन्द्र/कार्यालय अनुभाग के पास उक्त न्यायाधिकरण/न्यायालय में फाइल करने के लिए वापस भेजा जाता है।

APPENDIX VIII

BROAD GUIDELINES FOR HANDLING TRIBUNAL/COURT CASES

1. Constitution of Administrative Tribunal

In 1985, Government of India decided to set up administrative tribunals to provide for adjudication or trial in respect of disputes and complaints regarding recruitment and conditions of service of persons appointed to Public Service and posts in connection with the affairs of the Union or of any State or of any Local or other authority within the territory of India and under the control of the Government of India. The procedure, rules and the relevant provisions are contained in the 'Administrative Tribunal Act, 1985 and the Administrative Tribunal Ordinance 1986'.

The Act and the Ordinance have been published in a booklet form and are available in the market.

2. Power & Jurisdiction of Tribunal

The Tribunals have jurisdication, power and authority exerciseable by all Courts except the powers of the Supreme Court under Article 136 of the Constitution, in respect of all service matters i.e. recruitment, tenure, confirmation, pay & allowances, seniority, promotion, reversion, leave, disciplinary matters etc. that may affect the service of the Government servant.

3. Action to be taken by Heads of Offices on petitions filed in the Tribunals/Courts

- (a) As and when the Head of Office receives a notice from the Administrative Tribunal/Court he/she should immediately obtain a copy of the petition from the Tribunal/Court, if not received alongwith notice of the Tribunal/Court. Immediately thereafter, they should get in touch with the concerned Standing Government Counsel, who are appointed from time to time, by the Ministry of Personnel & Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension (Deptt. of Personnel & Training) for advice. The names of Central Government Standing Counsels are circulated from time to time and are also available with the respective Tribunal/Courts and may be obtained from them, as and when need arises.
- (b) The Heads of Offices are advised to prepare para-wise comments on the writ petitions on points concerning them and send the same to the respective sections in the Directorate. In matters, in which the Stations are not directly concerned, they may send the copy of the petition alongwith their comments, if any, to the respective Deputy Director of Administration in the Directorate for further necessary action.
- (c) The following procedure/seriatem should invariable be followed in the petitions filed in the Tribunal/Courts:-
 - 1. Draft parawise comments should be prepared by Head of Office/concerned section of the Directorate on the petition filed in the Tribunal Court.
 - 2. Draft parawise comments may be delivered to the respective Central Government Standing Counsel alongwith a covering letter, requesting him to prepare draft counter affidavit on the basis of the parawise comments furnished on the petition.
 - 3. The draft counter affidavit prepared by Government Counsel should be sent by Registered Post by name to the concerned DDA in this Directorate for examination and vetting by the Ministry of Law.
 - 4. The vetted draft counter affidavit is sent back to the respective Station/Office/Section for filing the same in the said Tribunal/Court

आकाशवाणी नियम पुस्तक

(5) अधिकरण के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार कार्यालय के अध्यक्ष को उनके पक्ष में वकालतनामा निष्पादित किया जाता है।

4. वादपत्र/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

मुख्यालय स्थित आकाशवाणी महानिदेशालय और आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को सिविल न्यायालयों/अधिकरणों में वादों के लिए वादपत्र के लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना 16(3)85-जे.डी.यू.एल. दिनांक 8 अप्रैल, 1985)

- 1. महानिदेशक आकाशवाणी
- 2. उपमहानिदेशक आकाशवाणी
- 3. उपनिदेशकं प्रशासन, आकाशवाणी
- 4. उपविकास अधिकारी (प्रशासन) आकाशवाणी
- 5. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी
- सहायक केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी (उन केन्द्रों पर जहां पर विभागाध्यक्ष हैं)
- 7. निदेशक, विदेश सेवा प्रभाग, आंकाशवाणी
- 8. अपर निदेशक, विदेश प्रभाग, आकाशवाणी
- 9. निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी
- 10. उपनिदेशक (सम्पर्क), आकाशवाणी
- 11. कार्यक्रम निदेशक (जनसम्पर्क), आकाशवाणी
- 12. योजना अधिकारी (कार्यक्रम), आकाशवाणी
- 13. निदेशक (कार्यक्रम, योजना और विकास) आकाशवाणी
- 14. निदेशक, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), आकाशवाणी
- 15. उपनिदेशक. कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) आकाशवाणी
- 16. निदेशक, प्रत्यंकन और कार्यक्रम विनिमय आकाशवाणी
- 17. निदेशक (केन्द्रीय विक्रय एकक) आकाशवाणी
- 18. निदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी
- 19. मख्य अभियन्ता, आकाशवाणी
- 20. उपनिदेशक (इंजीनियरिंग) आकाशवाणी
- 21. मुख्य अभियन्ता, सिविल निर्माण स्कन्ध, आकाशवाणी के इंजीनियरिंग अधिकारी
- 22. अधीक्षक अभियन्ता, आकाशवाणी
- 23. कार्यकारी अभियन्ता, आकाशवाणी
- 24. केन्द्र इंजीनियर, आकाशवाणी (जहां कहीं भी वह विभागाध्यक्ष है)
- 25. सहायक केन्द्र इंजीनियर, आकाशवाणी (जहां कहीं भी वह विभागाध्यक्ष है)
- 26. अनसंधान अभियन्ता, आकाशवाणी

(प्राधिकार : विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० 16(3)/85--जे.डी.यू.एल. दिनांक 8/4/85- और आकाशवाणी महानिदेशालय परिपत्र संख्या ए-11019/8/82-एस.सी.ओ.आर. दिनांक 6.5.85)

251

5. The Head of Office will have to execute in their favour Vakalatnama according to the rules and procedure of the Tribunal.

4. Officers authorised to sign plaints/affidavits

The following officers of the Directorate General All India Radio at Headquarters and at various Stations of All India Radio have been authorised to sign plain written statement in suits in the Civil Courts/Tribunal by Ministry of Law and Justice.

(Department of Legal Affairs vide notification no. 16(3) 85-Judl dated 8th April, 1985,

- 1. Director General, All India Radio
- 2. Deputy Director General, All India Radio
- 3. Deputy Director of Administration, All India Radio
- 4. Deputy Development Officer (A), All India Radio
- 5. Station Director, All India Radio
- 6. Assistant Station Director, All India Radio (At Stations where he is Head of Office)
- 7. Director, External Services Division, All India Radio.
- 8. Additional Director, External Services Division, All India Radio
- 9. Director, News Service Division, All India Radio
- 10. Deputy Director (Laison) All India Radio
- 11. Director of Programmes (Public Relations) All India Radio
- 12. Planning Officer (Programmes) All India Radio
- 13. Director, (Programme, Planning and Development) All India Radio
- 14. Director, Staff Training Institute (Programme) All India Radio
- 15. Deputy Director, Staff Training Institute (Programmes), All India Radio
- 16. Director, Transcription and Programme Exchange Services, All India Radio
- 17. Director (Central Sales Unit) All India Radio.
- 18. Director, Audience Research, All India Radio
- 19. Chief Engineer, All India Radio
- 20. Deputy Director (Engineering) All India Radio
- 21. Engineering Officer to Chief Engineer, Civil Construction Wing, All India Radio
- 22. Superintending Engineer, All India Radio
- 23. Executive Engineer, All India Radio
- 24. Station Engineer (where he is the Head of Office), All India Radio
- 25. Assistant Station Engineer (where he is the Head of Office), All India Radio
- 26. Research Engineer, All India Radio

(Authority: Ministry of Laws, Notification No. 16(3) 85-Judl dated 8/4/85 and DG: AIR Circular No. A-11019/8/82-SCOR dated 6/6/85)

5. अधिवक्ताओं की नियुक्ति और उन्हें देय शुल्क

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की विभिन्न खण्डपीठों में सरकार की ओर से पेश होने के लिए प्रस्तुतीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं के ब्यौरों को दर्शाने वाले आदेश जारी किए जाते हैं। संबंधित अधिकारियों के लिए ऐसे नामों को अन्तिम रूप दिए जाने तक जिन्हें पहले से ही केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल पदानिहित किया गया है, अगले आदेशों तक सरकार की ओर से मामलों में कार्य करते रहेंगे।

(प्राधिकार : कार्मिक विभाग, कार्यालय ज्ञापन सं० ए-11019/38/85-ए.टी. दिनांक 1-2-1986)

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिवक्ता आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक मामले में अनुबंधित किए जायेंगे और संबंधित कार्यालयों द्वारा सीधे ही उन्हें प्रारूप तैयार करने, अभिवचन करने तथा पेश होने के लिए उनके शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

अधिवक्ताओं के शुल्क की दर उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रतिवेदन के संबंध में इस समय केन्द्रीय सरकारी काउन्सेल के लिए विहित और निर्धार्मित किए गए के अनुसार दोषी कोई भी अधिवक्ता, जिसे किसी खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुतीकरण अधिकारी के रूप में पेश होने के लिए अनुबंधित किया जाता है (चाहे वह केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल हो अथवा नामिका का काउन्सेल), इस प्रकार का कार्य करने के लिए मासिक प्रतिधारण प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। तथापि, वरिष्ठ केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल/केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल, जिसे इस समय मासिक प्रतिधारण मिलता है, जिसके विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी कार्य विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है, उस कार्यालय से वर्तमान दरों के अनुसार मासिक प्रतिधारण लेता रहेगा। अन्य शाब्दों में ऐसे काउन्सेल को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए उसकी नियुक्ति के कारण उसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई अन्य प्राधिधारण नहीं दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेलों को देय शुल्क विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 36(3)76-जे.डी.यू.एल. दिनांक 23 फरवरी, 1977 के तरह निर्धारित किए गए थे जिन्हें इस निदेशालय के परिपत्र संख्या पी एक 9(6)72-एस-7 दिनांक 14-9-78 के तरह परिचालित किया गया है। इस कार्यालय ज्ञापन की प्रति अनुलग्नक-I में दी गई है।

सरकारी काउन्सेल को शुल्क की स्वीकृति के लिए अनुरोध भेजते समय आकाशवाणी के सभी केन्द्रों/कार्यालयों को सहपत्र में यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि ''अधिवक्ता/काउन्सेल द्वारा किया गय शुल्क विधि मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36(5)76-जे.डी.य.एल. दिनांक 23-2-77 में दिए गए अन्देशों तथा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के अनुसार।''

6. अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना

आकाशवाणी के कार्यालयों/केन्द्रों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब आकाशवाणी से संबंधित कोई भी मामला सुनवाई/बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाता है तो केन्द्र/कार्यालय का एक उत्तरदायी अधिकारी निरपवाद रूप से संबंधित अधिकरण/न्यायालय में उपस्थित होता है। यदि किसी भी वजह से अधिकरण/न्यायालय में पेश किए जाने वाले दस्तावेज/प्रति शपथ-पत्र केन्द्र/कार्यालय में सुनवाई के लिए नियत तारीख से पहले समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो विभागाध्यक्ष को निरपवाद रूप से मामले को स्थगित करने तथा समय मांगने के लिए कहना चाहिए ताकि कोई भी मामला किसी प्रकार की कमी की वजह से सरकार के विरुद्ध अथवा एक पक्षीय निर्णीत नहीं हो जाए। इस निदेशालय को अधिकरण के समक्ष चल रहे मामलों को समय-समय पर प्रगति से सूचित रखा जाना चाहिए। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण/सलाह के लिए उन्हें तत्काल ही उपमहानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी से सम्पर्क करना चाहिए।

5. Appointment and Fees to be paid to the Advocates

The Government of India issuses from time to time orders indicating details of the advocates appointed to act as Presenting Officers for appearing before the various benches of the Central Administrative Tribunals on behalf of the Government. Pending finalisation of such names for the respective Tribunals, the advocates who have already been designated as Central Government Standing Counsels will continue to handle cases on behalf of the Government until further orders.

(Authority:-DDP OM No. A-11019/38/85-AT dated 1/2/86)

The Advocates appointed by the Central Governemnt will be engaged on a case to case basis as necessary, and their fees for drafting, pleading and for appearances will be paid by the respective offices directly.

The rate of fees to the Advocates will be the same as now prescribed and applicable to Central Government Counsels in respect of an application before the High Court. None of the Advocates who may be engaged to act as Presenting Officer before any Bench (whether a Central Government Standing Counsel or a Panel Counsel) will be entitled to any monthly retainer for acting as such (except in the case of an Advocate specifically notified otherwise). However, a Senior Central Government Standing Counsel/Central Government Standing Counsel, who is now in the receipt of a monthly retainer, by virtue of his/her existing appointment as such by the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice will continue to draw the same at the prevalent rate, from that office. In other words, no additional retainer will be payable to such Counsel by the Department of Personnel and Training, on account of their appointment for the Central Administrative Tribunal.

The fees paid to the Central Government Standing Counsel were fixed under Ministry of Law, Justice and Company OM No. 36(5) 76-Judl dated 23rd February 1977 which were circulated to all Stations under this Directorate Circular No. PF.9(6)72-SVII dated 14/9/78. A copy of this OM is at ANNEXURE I.

All the Stations/Offices of AIR should, while sending requests for sanction of fees to the Government Counsel record a certificate in the covering letter that "the fees claimed by the Advocates/Counsels is in accordance with the instructions contained in Ministry of Law's OM 36(5)76-Judl. dated 23rd February, 1977, and other instructions issued from time to time".

6. Appearance before the Tribunal

The Heads of Offices/Stations of AIR must ensure that a responsible officer of the Station/Office invariably appears before the concerned Administrative Tribunal/Court as and when a case belonging to All India Radio is listed for hearing/arguments. In case due to any reasons the documents/Counter affidavit to be submitted in the Tribunal/Court does not reach the Station/Office in time before the fixed date of hearing the Head of Office should invariably seek an adjournment and ask for more time, so as to ensure that no case goes against the Government by default or decided ex-parte. This Directorate should be kept informed of the progress of the cases before the Administrative Tribunal from time to time. For any further clarification/advice, they should get in touch immediately with Deputy Director General (Admn.) DG: AIR.

आकाशवाणी नियम पुस्तक

अनुलग्नक I

(देखिए पैराग्राफ 5)

एफ. सं. 36(5)76-जे.डी.यु.एल.

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय विधायी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1977 4 फाल्ग्न, 1988 (शक)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : विभिन्न उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों को छोडकर) में केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल के शल्क का पनरीक्षण।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल की नियुक्ति की शर्तों के पुनरीक्षण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था और संलग्न योजना में दिए अनुसार उनकी नियुक्ति की शर्तों में पुनरीक्षण करने का निर्णय किया गया है जोकि 1 मार्च, 1977 से प्रभावी होगी। इस नई योजन के अनुसार यह मंत्रालय स्थायी काउन्सेल को केवल मासिक प्रतिधारण तथा उन्हें मुहैय्या कराये गये टेलीफोन को लगाने का शुल्क तथा उनके वार्षिक प्रभार की अदायगी करेगा। शल्क और अन्य प्रकीर्ण तथा आउट-आफ-पाकेट खर्च की अदायगी संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाएगी।

मंत्रालय/विभाग का सक्षम अधिकारी वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 की मद संख्या 11, अनुसूची 5 के तहत निहित शक्तियों के अधीन और स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करके कि शुल्क/बिल प्रत्येक मायने में सही है, इस मंत्रालय से परामर्श किए बिना अदायगी की स्वीकृति देगा। तथापि, उन मामलों में जब काउन्सेल द्वारा दिया गया बिल योजना के अनुरूप नहीं है अथवा किसी किस्म की आशंका होने पर अथवा शुल्क की किसी विशेष मद पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और काउन्सेल के बीच मतभेद होने पर मामला स्पष्टीकरण के लिए इस मंत्रालय को भेजा सकता है। ऐसे मामलों में, जहां कि इस मंत्रालय से परामर्श किए बिना काउन्सेल को नियुक्त किया गया है, इस मंत्रालय से शुल्क बिल को प्रमाणित करने की विद्यमान प्रक्रिया जारी रहेगी।

> हस्ताक्षर (पी.के. बोस) भारत सरकार के सालीसिटर

संलग्न : उपरोक्त के अनुसार

सेवा में.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास

ANNEXURE I

(See paragraph 5)

F.No.36 (5)/76-Judl.

Government of India

Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs

New Delhi, the February 23, 1977 Phalguna 4, 1898 (Saka)

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Revision of fees of the Central Government Standing Counsel in various High Courts (Except Delhi, Bombay, Calcutta and Madras High Courts)

The question of revision of the terms of appointment of the Central Government Standing Counsel in various High Courts (Except Delhi, Bombay, Calcutta- and Madras High Courts) was under consideration of the Government and it has now been decided to revise their terms of appointment as in the Scheme enclosed with effect from 1st March 1977. According to this new Scheme, this Ministry will only be making payment of monthly retainer to the Standing Counsel and installation and annual charges of telephones provided to them. The fees and other miscellaneous and out-of-pocket expenses will be paid by the Ministry, Department concerned.

The competent officer of the Ministry/Department may, under the powers vested in them vide Schedule V item 11 of the Delegation of Financial Power Rules, 1958 and after satisfying himself that the fee/bill is in order in all respects, sanction payments without consulting this Ministry. However, where the fee/bill preferred by the counsel does not strictly conform to the Scheme or where there is some doubt or difference of opinion between the Administrative Ministry/Department and the counsel on a particular item of fees, the matter may be referred to this Ministry for clarification. In cases where the counsel have been engaged without settling their terms in consultation with this Ministry, the existing procedure of getting the fee/bills certified by this Ministry will continue.

Sd/ (P.K. Bose) Solicitor to the Govt. of India

Encl. as above

То

All Ministeries/Departments of the Govt. of India Branch Secretariat, Bombay, Calcutta and Madras.

आकाशवाणी नियम पुस्तक

सभी उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास को छोड़कर) और न्यायिक आयुक्त का न्यायालय, गोवा में भारत सरकार के मामलों में काउन्सेल नियुक्त करने संबंधी योजना

1. योजना का कार्यक्षेत्र

यह योजना सभी उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास को छोड़कर) और न्यायिक आयुक्त का न्यायालय, गोवा में भारत सरकार के सभी सिविल मामलों (रेलवे और आयकर विभागों को छोड़कर) के लिए लाग होगी।

2. काउन्सेल नामिका

सरकार द्वारा निर्धारित किए गए के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक स्थायी काउन्सेल अथवा काउन्सेल नामिका होगी, जिसमें एक वरिष्ठ स्थायी काउन्सेल होगा, तथा एक अथवा अधिक अपर/कनिष्ठ स्थायी काउन्सेल होंगे। सर्वप्रथम काउन्सेल की नियुक्ति की अवधि एक वर्ष होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर यह समाप्त की जा सकती है। सरकार की स्वेच्छा पर यथोचित अवधि के लिए समय-समय पर नियुक्ति की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

काउन्सेल का मुख्यालय काउन्सेल के रूप में उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उस स्थान पर होगा जहांकि उच्च न्यायालय अथवा इसकी खण्डपीठ की सामान्य बैठक होती है।

3. इस योजना के उद्देश्य से, काउन्सेल के अथ में स्थायी काउन्सेल, वरिष्ठ काउन्सेल, अपर स्थायी काउन्सेल और कनिष्ठ स्थायी काउन्सेल शामिल हैं।

4. स्थायी काउन्सेल

स्थायी काउन्सेल अथवा वरिष्ठ स्थायी काउन्सेल, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित उच्च न्यायालय, अथवा इसकी खण्डपीठ जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष केन्द्रीय सरकार के सारे सिविल मुकदमेबाजी के कार्य, ऐसे कार्यों को छोड़कर जिनके लिए अलग से प्रबन्ध किए गए हैं जैसे रेलवे और आयकर विभागों से संबंधित मामलों का प्रभारी होगा और

- (i) उसे, यदि अपेक्षित हो तो, मुख्यालय के अधीनस्थ मुख्यालय में भी पेश होना पड़ेगा।
- (ii) वह अपर/कनिष्ठ काउन्सेल को मामले सौंपेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जहां तक भी उसके तथा अन्य अपर/कनिष्ठ काउन्सेल के बीच यथासम्भव व्यवहार्य के अनुसार तर्कसंगत कार्य का बंटवारा किया जाएगा।
- (iii) वह प्राप्त और उन्हें वितरित किए गए मामलों का वार्षिक विवरण इस मंत्रालय को भेजेगा। इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस मंत्रालय द्वारा और मांगी गई तथा अन्य विवरण तथा रिपोर्ट भेजेगा।
- (iv) जब कभी भी कोई ऐसा मामला, जिसमें वह पेश होता है, वह सरकार के विरुद्ध निर्णीत होता है और अथवा जब सरकार का कोई अधिकारी ऐसे निर्णय की अपील फाइल करने के औचित्य के संबध में अपनी सलाह देता है।

5. प्रतिधारक

स्थायी काउन्सेल अथवा वरिष्ठ स्थायी काउन्सेल को 500/- (पांच सौ रुपए केवल) प्रतिमास प्रतिधारक दिया जाएगा जिसमें कर्मचारियों के लिए प्रभार, कार्यालय का किराया, डाक खर्च और अन्य सभी स्थापना प्रभार शामिल होंगे। इस मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) द्वारा प्रतिधारक की अदायगी की जाएगी।

उसे सरकारी खर्च पर उसके चैम्बर में, यदि कोई हो तो, एक टेलीफोन मुहैय्या कराया जाएगा। टेलीफोन लगाने का प्रारम्भिक खर्च तथा वार्षिक किराया प्रभार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। टेलीफोन प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कालों तथा ट्रंककालों का खर्च काउन्सेल द्वारा स्वयं अदा किया जाएगा अथवा जिस विभाग के लिए ट्रंक काल किया गया था, उनसे वसूल किया जाएगा। अपर/कनिष्ठ काउन्सेल किसी किस्म के प्रतिधारक के हकदार नहीं होंगे और न ही उन्हें सरकारी खर्च पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी।

Scheme for engagement of Counsel in Government of India cases in all the High Courts (except Delhi, Bombay, Calcutta and Madras) and the Judicial Commissioner's Court in Goa

I. Scope of the Scheme

The scheme will be operative in respect of all the civil cases of the Government of India (except Railways and Income Tax Departments) in all the High Courts (except High Court of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras) and the Judicial Commissioner's Court in Goa.

II. Panel of Counsel

There will be a Standing Counsel or a panel of Counsel consisting of one Senior Standing Counsel and one or more Additional/Junior Standing Counsel as for each High Court may be determined by the Government. The appointment of the Counsel would be for a period of one year in the first instance and would be terminable on one month's notice on either side. The appointment may from time to time be extended for suitable periods at the discretion of the Government.

The counsel will locate his headquarters during the period of his appointment as such Counsel at the place of the usual sitting of the High Court or its Bench/Benches.

III. For the purposes of this scheme, the expression 'Counsel' will mean and include Standing Counsel, Senior Standing Counsel, Additional Standing Counsel and Junior Standing Counsel.

IV. Standing Counsel

The Standing Counsel or the Senior Standing Counsel, as the case may be, will be incharge of the entire Civil Litigation work of the Central Govrnment before the concerned High Court or its Bench as the case may be except such of the work for which separate arrangements are made viz. cases relating to the Railways and Income-Tax Departments and

- (i) He shall, if so required, appear in the Subordinate Court at the Headquarter.
- (ii) He will mark cases to other Additional Junior Counsel and shall ensure that as far as possible the distribution of work between him and the other additional/Junion Counsel is fair.
- (iii) He shall furnish to this Ministry yearly statements of cases received and their distribution and such further and other statements and reports which may be called by this Ministry from time to time.
- (iv) He shall when any case attended to by him is decided against the Central Government and or its officers give his opinion regarding advisability of filing an appeal from such decision.

V. Retainer

The Standing Counsel or the Senior Standing Counsel will be paid a monthly retainer of Rs. 500/-(Rupees five hundred only) which will include charges for staff, office rent, postage and all other establishment charges. The retainer will be paid by this Ministry (Department of Legal Affairs).

He shall be provided with a telephone at Government expenses in his chamber, if any. The Government will bear the initial expenses for installation and annual rental charges for the telephone. The charges for the calls in excess of the limits prescribed by the telephone authorities and the trunk calls shall have to be paid by the Counsel himself or recovered from the Department for which the Trunk Call was booked. The Additional/Junior Standing Counsel will not be entitled to any retainer and the telephone facility at Government expenses.

6. काउन्सेल को अदा किया जाने वाला शुल्क

काउन्सेल को अदा किया जाने वाला शुल्क निम्न प्रकार से होगा:

- संविधान के अनुच्छेद 266 और 227 के अधीन सिविल अथवा आपराधिक रिट याचिकाओं अथवा ऐसी याचिकाओं के आदेशों पर विशेष अपील के लिए 500/- रूपये प्रति मुकदमा। यदि किसी रिट याचिका पर मुकदमे की सुनवाई तीन दिन से अधिक चलती है तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन (अधिकतम तीन दिन) के लिए 100 रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क के रूप में अटा किया जाएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 132 अथवा 133 के अधीन सिविल अथवा आपराधिक मामलों में याचिकाओं के लिए 150 रुपये प्रतिदिन, परन्तु प्रत्येक मामले के लिए अधिकतम 300/- रुपये।
- 3. मूल वादः विनियमन शुल्क अथवा न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया शुल्क, जो भी अधिक हो।
- संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन से अतिरिक्त मूल वादों और पूर्ववर्ती मामलों की डिक्री से संबंधित सिविल अपील, द्वितीय अपील, लेटर्स पेटेंट अपील, उपरोक्त मद (i) में वर्णित से अन्यथा और उच्च न्यायालय में भमि अधिग्रहण अपील।

5. सिविल अथवा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका।

- सिविल प्रकीर्ण आवेदन अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 150 रूपये प्रति मामला न्यायालय अवमान कार्यवाही के अधीन याचिकाएं और मूल स्वरूप की अन्य कार्यवाही, जिसका विशोष रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है।
- बिक्री कर अधिनियम और बैंककारी कम्पनी संबंधी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में निर्देश के लिए याचिकाएं।
- 8. कम्पनी याचिका
- सिविल प्रकीर्ण याचिकाएं, जोकि अकिंचन कहलाती हैं, स्थानांतरित याचिकाएं और अन्य सिविल प्रकीर्ण याचिकाएं। आवेदन जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
- 10. हक विलेखों की परीक्षा

द्वारा नियत शुल्क, जो भी अधिक हो।

150 रुपये प्रति मामला अथवा उच्च न्यायालय

प्रत्येक मामले में विनियमन शल्क अथवा न्यायालय

कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 के परिशिष्ट-III में वर्णित नियमों के अनुसार विनियमित की जाए।

50/- रूपये प्रति याचिका।

बिक्री बंधक आदि जैसे कार्यों में अन्तग्रस्त राशि 2 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 25 रुपये तथा अधिकतम 250/- रुपये

75/- रुपये

- 4(5) में वर्णित से अन्यथा से अन्यथा लिखित विचार।
- 12. प्रारूप तैयार करने, अभिवचन करने, अर्थात् मुकदमों के लिखित बयान और रिट याचिकाओं के प्रति शपथ-पत्र। रिटर्न/ उत्तर, अपील के आधार तथा उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन 75/- रुपये प्रति निदर्शाक। यदि बहुत बड़ी संख्या में एक जैसे शपथ-पत्र/लिखित बयान/अपील करने के आधार/आवेदन पत्र संबंधित मामलों में ड्राफ्ट किए जाते हैं तो केवल मुख्य मामले में ही एक बार शुल्क देय होगा तथा संलग्न मामलों के लिए कोई अलग से प्रारूपण शल्क नहीं दिया जाएगा।

255

150 रुपये प्रति याचिका

अधिक हो।

द्वारा निर्धारित शल्क. जो भौ

VI. Fees payable to the Counsel

The fees payable to the Counsel would be as follows:-

- (i) Civil or Criminal Writ Petitions under articles 226 and 227 of the Constitution or special appeals from orders made in such petitions Rs. 500/- per case. If in a case hearing on a writ petition goes on for more than three days, additional fee of Rs. 100/- per day may be paid for every additional day not exceeding three in number) by way of refresher fee.
- (ii) Petitions under article 132 or 133 of the Constitution in Civil or Criminal cases Rs. 150/- per case per day subject to a maximum of Rs. 300/- for each case.
- (iii) Original suits Regulation fee or the fee which the Court decrees whichever is higher.
- (iv) Civil Appeals from decrees in original suits and preceedings except under articles 226 and 227 of the Constitution; Second Appeals, letter, patent appeals other than mentioned in item (i) above and Land acquisition appeals to the High Court
- (v) Civil or Criminal Revision petitions.
- (vi) Civil Miscellaneous Applications or petitions under the Indian Seccession Act, Contempt of Court, proceedings and other proceedings of an original nature not specifically provided otherwise Rs. 150/- per case.
- (vii) Reference to the High Court under Sales Tax Act and Banking Company petitions.
- (viii) Company petition
- (ix) Civil Miscellaneous petitions form a paper is, transfer petitions and other civil miscellaneous petitions, applications not otherwise provided for.
- (x) Examination of title deeds.

Rs. 150/- per petition.

Rs. 150/- per case or the amount fixed by the High Court whichever is higher.

For each case regulation fees or fee

fixed by the Court whichever is higher.

To be regulated by the rules contained in Appendix III of the Company's (Court) Rules, 1959.

Rs. 50/- per petition.

Rs. 75/-

 $2\frac{1}{2}$ of the amount involved in the transaction such as sale mortgage etc. subject to a minimum of Rs. 25/- and maximum of Rs. 250/-

(xi) Written opinion other than referred to in IV (iv)

(xii) For drafting pleading i.e. written statements in suits and counter affidavits/returns/answers to the writ petitions, grounds of appeals and application for leave to appeal to the Supreme Court Rs. 75/per leading. If substantially identical affidavit/written statements/grounds of appeal/applications are drafted in connected cases, only one drafting fee will be payable in the main case and no separate drafting fee will be paid in connected cases.

आकाशवाणी नियम पस्तक

जब काउन्सेल मामले में स्वयं तर्क नहीं देता है, वरना केवल महान्यायवादी अथवा महान्यायभिकर्ता अथवा अपर महान्यायभिकर्ता अथवा महाधिवक्ता की सहायता करता है तो उसे उस दर पर शुल्क की अदायगी की जाएगी जो उसे अकेले उपस्थित होने पर मिलती।

- 13. मध्यस्थ/अधिनिर्णायक के समक्ष केन्द्रीय सरकार के मध्यस्थम मामलों में पैरवी करने के लिए काउन्सेल को उनके मुख्यालय पर पहले घन्टे के लिए 50/- रुपये और उसके बाद के आधे घन्टे की सुनवाई के लिए 25/- रुपये मिलेंगे। तथापि, जब काउन्सेल के व्यक्तिगत कारणों अथवा उसे अग्रिम सूचना देकर मामले की सुनवाई अस्थगित की जाती है तो किसी किस्म के शुल्क की अदायगी नहीं की जाएगी।
- 14. मुख्यालय स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों में पेश होने के लिए पहले दिन के लिए 150 रुपये तथा बाकी के प्रत्येक दिन के लिए पहले दिन के लिए 150 रुपये तथा बाकी के प्रत्येक दिन के लिए 100/- रुपये मिलेंगे।
- 15. यदि केन्द्रीय सरकार के मुकदमों की पैरवी करने के लिए काउन्सेल को मुख्यालय से बाहर जाना पड़ता है, अर्थात् वरिष्ठ काउन्सेल से मशवरा करने, मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय में पेश होने, तो वह मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के दिनों के लिए 300/- रुपये प्रतिदिन की दर से शुल्क का हकदार होगा इसमें मुख्यालय से जाने और आने के दिन भी शामिल होंगे परन्तु यदि वह मुख्यालय से न्यायालय समय के पश्चात् प्रस्थान करता है अर्थात् वरिष्ठ परन्तु यदि वह मुख्यालय से बाहर की दर से शुल्क का हकदार होगा इसमें मुख्यालय से जाने और आने के दिन भी शामिल होंगे परन्तु यदि वह मुख्यालय से न्यायालय समय के पश्चात् प्रस्थान करता है अथवा यदि वह मुख्यालय में न्यायालय समय से पहले पहुंचता है तो उसे आने अथवा जाने के दिन का कोई शुल्क नहीं मिलेगा। इस दैनिक शुल्क के अतिरिक्त वह यात्रा खर्च, विमान द्वारा यात्रा (रियायती श्रेणी) अथवा रेलगाड़ी द्वारा प्रथम दर्जे और होटल में रहने के लिए वाजिब वास्तविक खर्च अधिकतम 100/- रुपये प्रतिदिन के लिए, का भी हकदार होगा।

7. लिखाई खर्च

उपरोक्त वर्णित शुल्क के अतिरिक्त काउन्सेल किसी मामले अथवा मामलों में लिखाई खर्च के लिए 10 प्रतिशत शुल्क, परन्तु अधिकतम 450/- रुपये के लिए हकदार है।

8. खाली जेब खर्च

मामले के लिए अपेक्षित न्यायालय शुल्क काउन्सेल को मामले को फाइल करते समय मामले से संबंधित मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय से अग्रिम रूप से लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मामले के लिए अधिकतम 60/- रुपये खाली जेब खर्च के लिए मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से प्राप्त कर लेने चाहिए। अन्तिम शुल्क बिल प्रस्तुत करते समय खर्च की गई धनराशि का हिसाब दिया जाना चाहिए।

9. सामान्य

- एक सामान्य निर्णय अथवा आर्डर से उत्पन्न पुनरीक्षण अपील अथवा याचिका को एक ही मामला माना जाएगा, यदि उनकी सुनवाई एक साथ हो।
- 2. स्थायी काउन्सेल के लिए शुल्क का दावा करने के लिए प्रत्येक मामले में उपस्थित होना आवश्यक है।
- 3. जब एकल न्यायाधीश के समक्ष चल रहा मुकदमा एक खण्ड न्यायपीठ अथवा पूर्ण न्यायपीठ के पास भेज दिया जाता है, तो प्रत्येक न्यायपीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए अलग-अलग शुल्क अदा किया जाता है।
- 4. आवरोध मामलों में अथवा देय शुल्क का एक तिहाई शुल्क अदा किया जाता है परन्तु बाद में यह मामला पुनः शुरू हो जाता है और उनका निर्णय होता है तो बाकी का दो तिहाई शुल्क अदा किया जाएगा। किसी मामले को तभी प्रतिवादित माना जाता है जबकि दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय दिया जाता है।

When Counsel does not argue the case himself but only assists the Attorney-General or Solicitor-General or Additional Solicitor-General or the Advocate-General, he will be entitled to the same fees as payable if appearing alone.

- (xiii) For conducting the arbitration cases of the Central Government before the Arbitrator/Umpire at their head-quarters the Counsel will be entitled to a fee Rs. 50/- for the first hour and Rs. 25/- per half hour of hearing, thereafter provided however, that no fee will be payable where a case is adjourned for reasons personal to him or after advance notice to him.
- (xiv) Fees for appearance in the cases in the Subordinate Courts at the Headquarters Rs. 150/- for the first day and Rs. 100/- for each subsequent day.
- (xv) If the Counsel is required to go out of headquarters in connection with Central Government litigation e.g. for conference with a Senior Counsel, appearance in a court outside the headquarters, he will be entitled to a daily fee of Rs. 300/- per day, for the days of his absence from the headquarter including days of departure from the arrival back at the headquarters but no fee will be paid for the day of departure if he leaves the headquarters after court hours or for the day of arrival if he arrives at the headquarters before court hours. In addition to this daily fee, he will also be entitled to travel expenses for travel by air (economy class) or first class by train and reasunable actual expenses for stay in hotel, subject to a maximum of Rs. 100/- per day.

VII. Clerkage

In addition to fees mentioned above, the Counsel will be entitled to 10% of fees subject to maximum of Rs. 450/- in a case of batch of cases by way of clerkage.

VIII. Out of pocket expenses

The amount required for court fees at the time of filing a case should be obtained by the Counsel in advance from the Ministry/Department/Office concerned in the case. In addition a sum not exceeding Rs. 60/- per case may be obtained from the Ministry/Department/Office concerned to meet other outof-pocket expenditure. An account of the expenses incurred should be rendered while presenting the final fee bill.

IX. General

- 1. Appeals revision or petitions arising from one common judgement or order will be together considered as one case, if they are heard together.
- 2. In all cases, effective appearance is necessary for the Standing Counsel to claim fee.
- 3. When cases argues before a Single Judge are referred to a Division Bench or to a Full Bench separate fee at prescribed rates will be paid for appearance before each Bench.
- 4. In uncontested cases the fees shall be one-third of the fees otherwise payable but if such a case is later on restored and decided in contest, the remaining two thirds of the fee will be payable. A case shall be regarded as contested when a decision is given after hearing arguments on both sides.

आकाशवाणी नियम प्स्तक

- 5. जब दो तथा अधिक मामलों में तथ्य विधि के प्रश्न काफी मात्रा में निहित रहते हैं तो इनमें किसी भी मामले को मुख्य मामला मानकर बाकी के मामले को सहयोजित मामला मान लिया जाता है। ऐसे मामलों में शुल्क का विनियमन निम्न प्रकार से किया जाता है, चाहे सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होती है अथवा नहीं।
 - (क) जब काउन्सेल द्वारा एक से अधिक मामलों में अलग-अलग और तात्विक दृष्टि से अलग शापथ-पत्र, आवेदन अथवा अपील पृष्ठभूमि आदि फाइल की जाती है, परन्तु सुनवाई केवल मुख्य मामले में होती है और तदनुसार बाकी मामलों का निर्णय किया जाता है, तो काउन्सेल को मुख्य मामले में पूर्ण शुल्क और सहयोजित मामलों के लिए प्रति मामला 60 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है।
 - (ख) जबकि मुख्य केस उपरोक्त (क) में वर्णित के अनुसार प्रतिवादित किया जाता है, परन्तु मुख्य मामले की तरह शपथ-पत्र अथवा पृष्ठभूमि अपील अथवा याचिका अथवा कोई भी प्रारूप तैयार नहीं किया जाता है तो काउन्सेल को मुख्य मामले में पूर्ण शुल्क तथा बाकी के सहयोजित मामलों के लिए प्रति मामला 25 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है।
 - (ग) जब सभी सहयोजित मामलों में मूल रूप से अलग शपथ पत्र दाखिल किए जाते हैं परन्तु सभी मामले प्रतिवादित के बिना निर्णीत होते हैं, तो काउन्सेल के मुख्य मामले के लिए एक तिहाई तथा प्रत्येक सहयोजित मामले के लिए 50/-रुपये की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है।
 - (घ) जब काउन्सेल ने मुख्य मामले के लिए शापथ-पत्र, याचिका अथवा अपील पृष्ठभूमि तैयार की है और उन्हें सहयोजित मामलों के लिए तैयार नहीं किया जाता है अथवा सहयोजित मामलों के प्रारूप अधिकांशतः मूल मामले की तरह है और मामलों का निपटारा प्रतिवादित रहित होता है तो काउन्सेल की मुख्य मामले के लिए एक तिहाई शुल्क तथा प्रत्येक सहयोजित मामले के लिए 25/- रुपये प्रति मामले की दर से भुगतान किया जाएगा।
- 6. मामले की तैयारी के लिए कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा परन्तु सरकार विशेष मामलों में, जिनमें कठिन कार्य किया गया हो, अलग से शुल्क की अदायगी करने पर विचार कर सकती है।
- ऐसे मामलों अर्थात् ऐसे मामले जिनमें सरकार का हितों का अनुदेशों के लम्बित रहने की वजह से ध्यान रखा जाना है, उच्चतम न्यायालय को अभिलिखित करने के लिए भेजे जाने वाले मामले, जिनमें कोई विधिक कार्य नहीं किया जाता है, कोई भी शुल्क अदा नहीं किया जाएगा।
- 8. किसी भी मामले में कुछ हद तक कार्यवाही होने के पश्चात ही एक तिहाई शुल्क का भुगतान किया जाएगा और बाकी के दो-तिहाई शुल्क का भुगतान मामले का निर्णय हो जाने के पश्चात किया जाएगा।
- 9. रसीदी टिकट लगी रसीद प्राप्त होने के पश्चात् ही संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- 10. काउन्सेल को निजी बकालत करने का अधिकार है तथापि इससे उसकी केन्द्रीय सरकार के लिए काउन्सेल के रूप में ड्यूटी निभाने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। वह भारत सरकार के बिरुद्ध न तो ऐसे किसी भी मामले में न तो सलाह देगा और न ही उसे स्वीकार करेगा जिससे उसे भारत सरकार ओर से पेश होने अथवा सलाह देने अथवा जिससे मुकदमे के प्रभावित होने अथवा जिससे सरकार के बिरुद्ध मुकदमा चलाये जाने का अवसर बनता हो, की संभावना हो। तथापि, रेलवे और आयकर के मामलों में काउन्सेल गैर सरकारी पक्षों को सलाह दे सकता है अथवा उनकी ओर से पेश हो सकता है और केन्द्रीय सरकार के किसी भी विभाग द्वारा चलाये जाने वाले आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्ति का बचाव कर सकता है।
- 11. यदि काउन्सेल को भारतीय संघ की ओर से भारतीय संघ से अन्यथा पक्ष के लिए पेश होने के लिए कहा जाता है, जिसका मामला भारतीय संघ के अनुरूप नहीं है, तो उसे केवल एक ही पक्ष द्वारा शुल्क अदा किया जाएगा।
- 12. स्थायी काउन्सेल भारत सरकार की अनुमति और अनुमोदन के पश्चात अपनी अनुपस्थिति के दौरान किसी विकल्प की नियुक्ति कर सकता है जोकि केन्द्रीय सरकारी स्थायी काउन्सेल की ड्यूटी प्रतिपादित करेगा।
- 13. किसी किस्म की आशंका अथवा मतभेज होने पर सचिव, विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी कार्य विभाग) द्वारा निर्धारित शुल्क अन्तिम और स्वीकार्य होगा।

- 5. Where two or more cases together involve substantially indentical question of law of fact, any one of such case will be treated as a main case and the others as connected cases and the fees in such cases will be regulated as under irrespective of the fact whether all the cases are heard together or not.
 - (a) When the Connsel files separate and materially different affidavits, applications or grounds of appeal etc. in more than one case but the arguments is heard in the main case and the other cases are decided accordingly, the Counsel shall be paid the full fees in the main case and Rs. 50/- in each of the connected cases.
 - (b) When the main case has been contested as in (a) above but in the connected case either affidavit or grounds of appeals or petition similar to the one in the main case or nothing at all has been drafted by the Counsel he should be paid the full fee in the main case and Rs. 25/-only in each of the connected cases.
 - (c) When substantially different affidavits are drafted in each connected case but all the cases are disposed of without contest, the Counsel shall get 1/3rd fees in the main case and Rs. 50/- in each of the connected cases.
 - (d) When the Counsel has drafted the affidavit, petition or grounds of appeal in the main case and has not drafted them in the connected cases or the drafts in the connected cases are substantially similar to the one in the main case and the cases are disposed of without contest, the Counsel shall get 1/3rd fee in the main case and Rs. 25/- in each of the connected cases.
- 6. No fee will be admissible for preparation but the Government may consider payment of a separate fee for preparation in special cases involving arduous work.
- 7. No fees will be payable in cases where no legal work is required to be done e.g. cases in which the interests of Govt. are to be watched pending instructions, cases regarding transmission of record to the Supreme Court.
- 8. One-third of the fee payable in a case will be paid after some substantial action has been taken in the case and the remaining two-thirds will be paid after the case is decided.
- 9. The fee will be paid by the Ministry/Department/Office concerned in the case on presentation of a stamped receipt.
- 10. The Counsel will have the right of private practice which should not, however, interfere with efficient discharge of his duties as Counsel for Central Govt. He shall not advise in or accept against the Government of India any case in which he is likely to be called upon to appear for or advise or which is likely to affect or lead to litigation against the Govt. of India.

Provided that the Counsel may advise or appear for private parties in railway and income-tax matters and may defend accused persons in criminal prosecutions launched by any Department of the Central Government.

- 11. If the Counsel appears at the instance of the Union of India for parties other than Union of India whose case is not inconsistent with that of the Union of India, he will be entitled to only one set of fee.
- 12. The Standing Counsel may during his absence, with the permission and subject to the approval of the Government of India, appoint a substitute, who will discharge the duties of the Central Govt. Standing Counsel.
- 13. In the event of any doubt or difference regarding the fees, the fees determined by the Secretary, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Department of Legal Affairs) shall be final and binding.